पत्रांकः—14 / डी0एल0ए0 एल0ए0एक्ट (नीति)—06 / 2022—......12...... / रा0

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त /
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना, दिनांक :– 03-01-24

विषयः— **अर्जित / अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन / प्रतिकर राशि का अधिनिर्णय करने की अधिसीमा का पुनर्निर्धारण।**

महाशय,

आप अवगत है कि बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली–2014, राजस्व विभागीय अधिसूचना सं0–1401 / रा0, दिनांक–27.10.2014 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है। नियमावली के अध्याय–vii के नियम–31 के उप नियम (7), (8) एवं (9) के अंतर्गत भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन / प्रतिकर राशि की विनिश्चत सीमा तक अधिनिर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

2. नियमावली के नियम 31 के उप नियम (10) के तहत यह प्रावधानित है कि जिला समाहर्त्ता या प्रमण्डलीय आयुक्त के लिए प्राधिकृत वित्तीय सीमा, प्रत्येक उत्तरवर्त्ती वर्ष की पहली जनवरी को, स्वतः दस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

3. तद्नुसार नियमावली के नियम–31 के उप नियम–(10) के प्रावधानानुसार अर्जित / अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन / प्रतिकर राशि का **दिनांक–01.01.2024 के प्रभाव से दिनांक–31.12.2024 तक** अधिनिर्णय करने की अधिसीमा का निर्धारण निम्नवत संसूचित किया जाता हैः–

(I) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन / प्रतिकर की रकम **मो0–25.927@25.93 (पच्चीस करोड तिरानबे लाख)** रुपये तक होने पर, जिला समाहर्ता अधिनिर्णय करने तथा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा करने हेतु सक्षम होंगे।

(II) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन / प्रतिकर की रकम **मो0–25.927@25.93 (पच्चीस करोड तिरानबे लाख)** रूपये से अधिक और रकम **मो0–64.334@64.33 (चौसठ करोड़ तैंतीस लाख)** रुपये तक होने पर समाहर्त्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व प्रमण्डलीय आयुक्त अधिनिर्णय करने हेतु सक्षम होंगे।

(III) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन / प्रतिकर की रकम **मो0–64.334@64.33 (चौसठ करोड़ तैंतीस लाख)** रुपये से अधिक होने पर समाहर्त्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा।

कृपया तदनुसार अर्जित / अधिग्रहित भूमि का प्राक्कलन / प्रतिकर राशि के अधिनिर्णय करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,
2/1/24
(सुशील कुमार),
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–......12...... / रा0, पटना, दिनांक–03-01-24

प्रतिलिपिः–आई.टी. मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की विभागीय वेबसाइट पर यथा स्थान रक्षित करने हेतु प्रेषित।

2/1/24
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

D:\Rohits\2023\Shiv jee\L.A. Act Policy (10%).doc